राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 56/2018

बुधसिंह पुत्र श्री महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी वाढ़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादी

ब–ना–म

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. छोग सिंह
2. भीम सिंह पुत्र स्व. छोग सिंह
3. सिकन्दर सिंह पुत्र स्व. छोग सिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. छोग सिंह
5. संतोष कंवर पुत्री स्व. छोग सिंह
6. सुमित्रा पुत्री स्व. छोग सिंह
7. पान कंवर पत्नी स्व. छोग सिंह
8. मैनपाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
   जाति राजपूत निवासी ढाणी वाढा तहसील खेतडत्री जिला झुन्झुनूं, राज0
9. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा जसरापुर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक 30–09–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम ढाणी वाढ़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत् ख.नं. 301/1, 304/8 वादी की एकल खातेदारी की भूमि थी जो जमावन्दी संवत् 2029 में वादी के नाम से दर्ज है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के पिता व पति छोग सिंह के मध्य कर दिया था जिसमें उक्त भूमि वादी के हिस्से में आई जो वादी के नाम से दर्ज हो गई थी तथा अन्य भूमि छोग सिंह के हिस्से में आई थी जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के नाम से दर्ज है। वादी अपनी उक्त भूमि पर काविज रहकर काश्त करता आ रहा है वादी की इस भूमि से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। लेकिन पैमाईश में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादी के भाई स्व. छोग सिंह का भी 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा छोग सिंह के फौत होने के पश्चात् विरासतन प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के नाम से दर्ज [illegible]। जबकि उक्त आराजियात में उनका कोई लेना देना नहीं है। उक्त भू[illegible] सं. 304/1 व 304/8 के हाल पैमाईश में नये खसरा नंबर 717 [illegible] ने उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवा[illegible] जिस पर वह खरीद [illegible] दिनांक से काविज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी [illegible] के नाम से 1/2 हि[illegible] दर्ज रिकार्ड हो गया है तथा शेष 1/2 हिस्से पर वादी का[illegible] काश्त है। वादी की शेष वची 1/2 हिस्से की भूमि वर्तमान खाता सं. 158 में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अनुतोष स्वीकार ह

दर्ज है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का इस आराजियात पर ना तो कोई कब्जा काश्त है एवं ना ही इनके पूर्वज छोग सिंह का कभी कब्जा काश्त रहा है। वादी की उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के नाम रहने से वादी की भारी हकतलफी है। इसलिये वादी को यह वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम ढाणी वाढ़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2071 लगायत 2074 के खाता सं. 158 के हाल ख.नं. 717 रकबा 1.20 है. में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे एवं उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का नाम हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

प्रतिवादीगण सं. 9 से 10 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 खाता सं. 158 ग्राम ढाणी बाढ़ां, खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2029, नकल मिसल हैकियत संवत् 2043, जमाबन्दी संवत् 2033–36, संवत् 2029–33, संवत् 2047–50, सवत् 2051–54, संवत् 2055–58, संवत् 2059–62, संवत् 2063–66, आधार वर्ष 2005, जमाबन्दी संवत् 2067–70, संवत् 2071–74 पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 की ओर से प्रस्तत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावन्दी संवत् 2029 में भूमि गत् खसरा नंबर 304/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बुधसिंह पुत्र महेशदान सिंह राजपूत सा.देह तथा भूमि गत् खसरा नंबर 297/2 रकबा 14 बिस्वा, गत् खसरा नंबर 304/8 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुलरकबा 1 बीघा 4 बिस्वा छोगसिंह पुत्र महेशदान सिंह राजपूत सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 304/1, 304/8 से हाल खसरा नंबर 717 रकबा 1.20 है. निर्मित हुआ है। सैटलमेंट के दौरान उक्त दोनों गत् खसरा नंबर 304/1, 304/8 को मिलाकर खसरा नंबर 717 रकबा 1.20 है. में छोगसिंह बुधसिंह पि0 महेशदान कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज कर दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध मिसल हैकियत संवत् 2043 से साबित है। जबकि भूमि गत् खसरा नंबर 304/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बुधसिंह पुत्र महेशदान सिंह की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। जमाबन्दी संवत् 2055–58 खाता सं. 28 खसरा नंबर 717 राकबा 1.20 है. में लगे नोट नामांतरकरण सं. 116 दिनांक 29.08.2001 के जरिये बुधसिंह के स्थान पर प्रतिवादी सं. 8 मैनपाल सिह पुत्र अर्जुन सिंह हिस्सा 1/2 कौम राजपूत दर्ज रिकार्ड हुआ। वादी का वादग्रस्त भूमि में गत् खसरा नंबर 304/1 [illegible] के आधार पर 1.07 है. रकबा बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 8 को 1/[illegible] विक्रय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 0.47 है [illegible] सैटलमेंट के दौरान हुई गलत को दुरूस्त कर प्रतिवादी सं. 1 [illegible] प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायो[illegible]त प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

JSV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः ग्राम ढाणी बाढ़ां तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 158 में दर्ज खसरा नंबर 717 रकबा 1.20 है. में वादी को 0.47 है. का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.60 है. का तथा शेष 0.13 है. का प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

बुधसिंह

ब–ना–म

राजेन्द्र सिंह आदि

ावा बाबत **घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती**

ुकदमा नम्बर :– **56/2018**

नेर्णय दिनांक :– **30–09–2022**

वादी की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 की ओर से **श्री प्रवीण सिंह शेखावत एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **30–09–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डेक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम ढाणी बाढ़ां तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 158 में दर्ज खसरा ंबर 717 रकबा 1.20 है. में वादी को 0.47 है. का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.60 है. का तथा शेष .13 है. का प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। क्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **30–09–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:18
Reason: SelfAttested

अनुरोध स्वीकार ह